भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

(आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3051

23 माच, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

'आयुष' औषधियों के मानकीकरण हेतु मानदण्ड

3051. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या आयुवद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने की कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार ने 'आयुष' औषधियों के मानकीकरण हेतु मानदण्ड निर्धारित करने के लिए दिशानिदश जारी किए ह;

(ख) क्या यह सच है कि मानकीकरण के अभाव म, कोई भी फम किसी भी बीमारी के उपचार का अविश्वसनीय दावा करते हुए किसी भी औषधी का उत्पादन करना शुरू कर देती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध म कोई ठोस पहल करेगी?

उत्तर

युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
और आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय के
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार (श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग): औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली के नियम 168 के अनुसार, आयुवद, सिद्ध एवं यूनानी औषध विनिमाताओं के लिए आयुष औषधियों की पहचान, शुद्धता और शक्ति के मानकों के बारे म दिए गए दिशानिदशों का पालन करना अनिवाय है जैसा कि संबंधित भेषजसंहिताओं म दिया गया है। आयुवद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी औषधियों के लिए भेषजसंहिता मानक तथा आयुवद, सिद्ध एवं यूनानी औषध-योगों के लिए फॉमूलरी विनिदशन एक सतत प्रक्रिया के रूप म स्थापित किए जाते ह और औषध विनिमाताओं द्वारा इनका पालन किया जाना अनिवाय होता है। भेजषसंहिता आयोग ने आयुवद एकल औषधों के 645 मानक, 202 सम्मिश्रित आयुवद औषधों, 298 यूनानी एकल औषधों और 150 सम्मिश्रित यूनानी औषधों, 139 सिद्ध औषधों तथा 1117 होम्योपैथी औषधों के मानकों को संबंधित भेषजसंहिताओं के रूप म प्रकाशित किया है।

*****